कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:–भू.अ. / 20 . / दिनांक:– / / 20

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री बालीबाई पिता प्रभू ग्राम दौलतपुरा प.ह. रोलाहेडा के राजस्व ग्राम दौलतपुरा में जमाबन्दी संवत 2018-2081 की खाता संख्या 165 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति / नाम गुर्जिया किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति / नाम गुर्जिया का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।.

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन भी नही होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:–रीडर / 2025/847 दिनांक:-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का रोलाहेडा

विषय:–सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री बालीबाई पिता प्रभू राजस्व ग्राम दौलतपुरा प.ह. रोलाहेडा की खाता संख्या 165 में जाति / नाम गाडरी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक [illegible] रिपोर्ट [illegible] पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार [illegible] द्वारा भी जाति / सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री बालीबाई पिता प्रभू जाति / नाम गुर्जिया एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित [illegible] करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. [illegible] राजस्व रि[illegible] उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:–तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ